कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/ 1722 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री संतोष कुमार स्वर्णकार,

पटवारी, प.ह.नं. 21

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/ 1722-A/अ.वि.अ./का.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक/1723 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री हितेन्द्र कुमार मिर्रे

पटवारी, प.ह.नं. 24

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1723-A /अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1724 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती रोहिणी बरूवा

पटवारी, प.ह.नं. 25

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1724-ii/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1725/अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती अल्का तिग्गा

पटवारी, प.ह.नं. 01

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनाक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1725-A/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/ 1726 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती संगीता मिंज

पटवारी, प.ह.नं. 02

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3=11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/1726-A/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1727 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री विलियम तिर्की

पटवारी, प.ह.नं. 04

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

पृ0 क्रमांक/1727-A/अ.वि.अ./का.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1728 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री ज्ञानदास खेस्स,

पटवारी, प.ह.नं. 05

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी,जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1728-A/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1729 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री उनियास खलखो,

पटवारी, प.ह.नं. 06

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1729-A/अ.वि.अ./का.गो./2026
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1730 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती मान्ती भगत,

पटवारी, प.ह.नं. 07

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ०ग०)

पृ0 क्रमांक/1730-A/अ.वि.अ./का.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ०ग०)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

—:: आदेश ::—

क्रमांक/ 1731 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री राजकमल राम,

पटवारी, प.ह.नं. 10

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/ 1731-A/अ.वि.अ./का.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ०ग०)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1732/अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री संजय खाखा,

पटवारी, प.ह.नं. 12

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1732-A/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/ 1733 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्री प्रवीण तिर्की,

पटवारी, प.ह.नं. 14

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–

1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1733-A/अ.वि.अ./का.गो./2026
प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व)
कुनकुरी, जिला-जशपुर (छ0ग0)

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.) सत्यमेव जयते

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/ 1734 /अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती सरिता कुलदीप,

पटवारी, प.ह.नं. 16

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।
यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

पृ0 क्रमांक/1734-A/अ.वि.अ./का.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.)

Scanned by CamScanner

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी(रा0)कुनकुरी,जिला–जशपुर(छ.ग.)

–:: आदेश ::–

क्रमांक/1735/अ.वि.अ./को.गो./2026 कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

प्रति,

श्रीमती प्रमिला टोप्पो,

पटवारी, प.ह.नं. 19

तहसील– कुनकुरी.

विषय :– दिनांक 13.10.2026 से लगातार कार्य से अनुपस्थित कार्य नही वेतन नही एवं हड़ताल अवधि दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक तक ब्रेक इन सर्विस करने के संबंध मे।

संदर्भ :–
1. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत ।
2. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006।
3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9रायपुर दिनांक 28.08.2015।
4. इस कार्यालय के पत्र /कारण बताओं नोटिस कमांक कमशः 31.10.2026।

————0000————

संदर्भित पत्र /नियम कमांक 01. छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम–6 तथा नियम 7 के प्रावधानों के अंतर्गत प्रदर्शन तथा हड़ताले और स्वीकृत होने के पूर्व अवकाश पर प्रस्थान राज्य के शासकीय सेवकों के लिए प्रतिबंधित है।

02. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रषासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 2–3/1–9/2006 रायपुर दिनांक 10.04.2006 के अनुसार बिना पूर्व स्वीकृति के सामूहिक अवकाश पर जाने की दषा में अथवा हड़ताल में भाग लेने की दशा में ऐसी अनाधिकृत अनुपस्थिति के दिवसों तथा हड़ताल का वेतन इत्यादि देय नही होगा न ही इस प्रकार की अनुपस्थिति के दिवसों का अवकाष स्वीकृत किया जायेगा। ऐसे दिवसों की अवधि का कोई वेतन इत्यादि देय नही होगा और इस अवधि को ब्रेक –इन–सर्विस माना जाएगा।

3. छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग शासकीय कर्मचारी कल्याण शाखा मंत्रालय दाउ कल्याण सिंह भवन रायपुर के पत्र कमांक एफ 3–11/2015/1–9 नया रायपुर दिनांक 28.08.2015 के अनुसार शासकीय कर्मचारियों द्वारा आयोजित हड़तालों धरना तथा सामूहिक अवकाष आदि के अवसरों पर कार्यालय से अनुपस्थिति के संबंध में निर्देष जारी किये गये है।

उक्त नियमों के पालन में आपको दिनांक 31.10.2026 दिनांक पत्र/ कारण बताओं नोटिस जारी किया गया है, लेकिन उक्त नोटिस के बावजूद आप आज दिनांक तक कार्य से अनुपस्थित है। साथ ही आपके द्वारा कारण बताओं नोटिस का जवाब प्रस्तुत नही किया गया है।

अतः संदर्भित नियम/पत्र के परिपालन में आपके दिनांक 13.10.2026 से आज दिनांक 11.11.2026 तक की अवधि को कार्य नही वेतन नही स्वीकृत करते हुए उक्त अवधि को ब्रेक–इन–सर्विस किया जाता है।

यह आदेश तत्काल प्रभावशील होगा।

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.) (राजस्व)
कुनकुरी, दिनांक 11.11.2026

पृ0 क्रमांक/1735-A/अ.वि.अ./का.गो./2026

प्रतिलिपि :–

1. कलेक्टर महोदय (भू–अभिलेख शाखा) जिला–जशपुर की ओर सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. तहसीलदार कुनकुरी/दुलदुला को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही सहित संबंधित पटवारियों को उनके व्हॉटसप के माध्यम से तामिली हेतु।
3. सर्व संबंधित श्रीको सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।

कार्यालय अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.) सत्यमेव जयते

अनुविभागीय अधिकारी (रा0)
कुनकुरी, जिला–जशपुर (छ.ग.) (राजस्व)

Scanned by CamScanner